न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/255/2022	2022/418	27.09.2022	14.11.2022

—उनवान—

1. लीलाराम पुत्र गणपत
2. विजय पुत्र लीलाराम
3. कृष्ण पुत्र जैलुराम जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रूधनाथ उर्फ रूघाराम पुत्र डीगा उर्फ डीगराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थी

2. जयसिंह पुत्र लीलाराम
3. जैलूराम पुत्र डीगाराम
4. होशियार पुत्र जैलूराम
5. चिरंजी पुत्र जैलूराम
6. नरेश पुत्र कृष्ण
7. सुरेश पुत्र कृष्ण
8. राजाराम पुत्र होशियार
9. दिनेश पुत्र होशियार जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बैराहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01.श्री कमल सिंह पोसवाल —वकील प्रार्थीगण
02.श्री जनार्दन शर्मा —वकील अप्रार्थी नं 1

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान रूधनाथ उर्फ रूधाराम बनाम लीलाराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रूधनाथ उर्फ रूधाराम बनाम लीलाराम वगै0 अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी प्रकरण दायर किया गया। जो मिथ्यों पर आधारित है। जिसमें आगामी पेशी 28.09.2022 नियत की गयी। दिनांक 22.09.2022 को मिन प्रार्थी सं0 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया और दस्तावेज की नकलों के लिए समय चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय न देते हुए आगामी पेशी 28.09.2022 जवाब व बहस हेतु नियत की गयी। दिनांक 22.09.2022 को ही हम प्रार्थीगण ने असल अप्रार्थी सं0 1 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा था तथा दिनांक 23.09.2022 को रूधनाथ ने गांव में आकर खुलेआम कहा कि मेरी एसडीएम से बातचीत हो चुकी है। दिनांक 28.09.2022 को उक्त फैसला अपने हक में कराकर रहूंगा। अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण

जिला कलक्टर, अलवर

को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी नं 1 ने पृथक से पूर्व में जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया गया था। किन्तु दौराने बहस में पुनः निवेदन किया कि विचाराधीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्राथी सं0 1 को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अपनी सहमती जताई गई है। वकील अप्रार्थी की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटकासिम में विचाराधीन रूधनाथ उर्फ रूधाराम बनाम लीलाराम वगै0 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़–बास में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़–बास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़–बास प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटकासिम एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला अलवर